कार्यालयः जिला कार्यक्रम अधिकारी, जनपद–बस्ती।

पत्रांक ८-2035/जि0का0अ0/बा0वि0परि0/स्था0–आं0बा0/2025–26, दिनांक 17 नवम्बर, 2025

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–1/1092245/2025/3313/58–1–2025(1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद बस्ती के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में वर्ष–2024–25 में किये गए चयन में अवशेष आंगनबाड़ी कार्यकत्री के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत इच्छुक महिला अभ्यर्थियों से विभागीय वेब साईट http://upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	कार्यकत्री के कुल रिक्त पद	आरक्षण की श्रेणी			
			अनारक्षित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6	7
1.	हरैंया	01	01	0	0	0
2.	सदर	02	02	0	0	0
3.	बहादुरपुर	03	03	0	0	0
4.	शहर	02	01	01	0	0
5.	गौर	03	01	01	01	0
6.	बनकटी	01	0	01	0	0
7.	साऊंघाट	01	01	0	0	0
8.	रामनगर	01	01	0	0	0
9.	परसरामपुर	01	01	0	0	0
10.	कप्तानगंज	01	01	0	0	0
कुल योगः–		**16**	**12**	**03**	**01**	**0**

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देशः–

1. विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगें।
2. रिक्त पदों (आंगनबाड़ी कार्यकत्री) हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष तथा अधिकतम परास्नातक होगी। मेरिट का निर्धारण इण्टरमीडिएट से परास्नातक तक की योग्यता के आधार पर किया जायेगा।
3. आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड/ग्राम सभा का स्थाई निवासी एवं ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित न्याय पंचायत की स्थाई निवासी होना अनिवार्य होगा।
4. आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ तिथि 01.07.2025 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधीकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु के सम्बन्ध में हाईस्कूल अंकपत्र/प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
5. चयन में निम्नानुसार वरीयता दी जायेगी–
   - उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला, उपलब्ध न होने पर विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला, उपलब्ध न होने पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

   उपरोक्तानुसार कोई अभ्यर्थी न मिलने पर उपरोक्त वरीयता क्रम में ही–

जिला कार्यक्रम अधिकारी
सम्बंधित बाल विकास परियोजना
जनपद-बस्ती

- उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला, उपलब्ध न होने पर विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला, उपलब्ध न होने पर गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

उसी ग्रामसभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जायेगा।

6. प्रमाण पत्रों की मान्यता–
   - विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्घित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल।
   - तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश।
   - आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–3959/1–9–11–राज0–9 दिनांक–30.09.2011 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिसका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो।

   (गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा रू–46080.00 वार्षिक तथा शहरी क्षेत्रों में रू0–56460.00 वार्षिक होगी)
   - निवास व जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिसका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो।
7. विज्ञापित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाईट http://upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन पर फार्म निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य होगें। ऑफलाइन आवेदन पर किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नही किये जायेगें। आवेदन सही–सही व सावधानी पूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिसका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में किया गया होगा। कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे, यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकडे/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाये जायेंगे तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
8. विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि–08 दिसम्बर, 2025 की मध्य रात्रि 12:00 बजे तक होगी।
9. एक आंगनबाडी केन्द्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाडी कार्यकत्री/सहायिका पद पर नहीं की जायेगी।
10. उपरोक्त विज्ञापित पदों का ग्रामसभा/वार्डवार आरक्षण सहित विवरण, पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर भी उपलब्ध है, साथ ही अधिक जानकारी हेतु संबंधित विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा विकास भवन के कक्ष संख्या–118 में जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास विभाग) कार्यालय से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

भवदीय

(राजेश कुमार)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
जनपद–बस्ती।

पृष्ठांकन संख्या–C-2035 /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक महोदया बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी

2. जिलाधिकारी महोदय बस्ती।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय बस्ती।
4. सहायक निदेशक सूचना बस्ती की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि एक स्थानीय समाचार पत्र में उक्त विज्ञप्ति को प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बस्ती को इस अनुरोध के साथ कि जनपद की एन0आई0सी0 वेबसाइट पर विज्ञापित पदों को अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी बस्ती को इस निर्देश के साथ कि विज्ञापित पदों का पूर्ण विवरण अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ–साथ तहसील विकास खण्ड एवं स्वास्थ्य केन्द्रों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
7. सम्पादक अमर उजाला बस्ती को इस आशय के साथ कि उक्त विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुये बिल 02 प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. पत्रावली हेतु।

17/11/25

जिला कार्यक्रम अधिकारी
बस्ती।